



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1729]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 1729]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2689(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का 10) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 27 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 9(16)/2004-ईसी]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2689(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Information Technology (Amendment) Act, 2008 (10 of 2009), the Central Government hereby appoints the 27th day of October, 2009 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 9(16)/2004-EC]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.